बिहार सरकार

उद्योग विभाग

वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट माँग सं०: 23

सैयद शाहनवाज़ हुसैन

उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

वक्तव्य : 14 मार्च, 2022

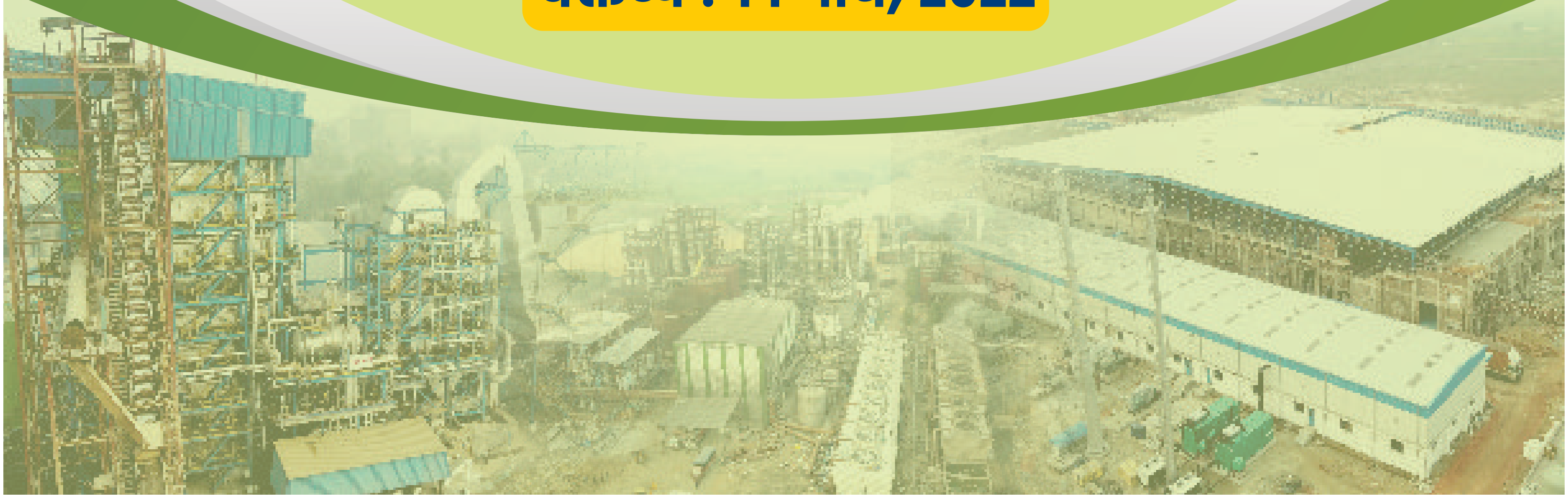

उद्योग मंत्री का बजट अभिभाषण-2022

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उद्योग विभाग का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक स्तर पर निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य का हर युवा उद्यमी बने, सरकार का यह प्रयास है। बिहार में विपुल मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का उचित उपयोग कर राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी, 2022 तक प्राप्त कुल 544 ऑनलाईन आवेदनों में से 474 आवेदनों को स्टेज–1 क्लियरेंस प्रदान की गई जिसमें प्रस्तावित निवेश राशि ₹39363.77 करोड़ है। कुल 75 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु क्लियरेंस दिया गया, इनमें से कुल 67 इकाइयाँ कार्यरत हैं जिसमें 3249 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति– 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति– 2016 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ₹340.10 करोड़ सब्सिडी (अनुदान) विमुक्त की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021

स्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति–2021, दिनांक–17.03.2021 से लागू की है। इथेनॉल उत्पादन को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है जिसके अन्तर्गत केवल वैसी स्टैन्डअलोन/ग्रीनफील्ड परियोजना, जो 100 प्रतिशत ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन करेंगी, वित्तीय प्रोत्साहन की पात्र होंगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना कर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्द्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना है।

उक्त नीति के पात्रता हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30.06.2021 तक प्राप्त 151 आवेदनों को स्टेज–1 क्लियरेंस दिया गया है जिसमें प्रस्तावित निवेश की राशि ₹30427.15 करोड़ है। कुल 17 इकाइयों का तेल उत्पादक कम्पनियों (OMC) से एकरारनामा हुआ है।

ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021

कोविड–19 संकट ने विशेष रूप से वर्ष 2021 में राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे पर भारी दबाव डाला, जिसके कारण राज्य में ऑक्सीजन के अधिक उत्पादन एवं आपूर्ति की आवश्यकता महसूस की गयी। इससे निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 लागू की गयी है, जो दिनांक–30.04.2021 से प्रभावी है।

इस नीति का उद्देश्य राज्य में ऑक्सीजन के उत्पादन में वृद्धि करना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा स्थानीय रोजगार का अवसर पैदा करना है। इस नीति के तहत योग्य इकाई को 30 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति– 2016 के तहत उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र को मिलने वाले सभी लाभ प्रदान किये जाते हैं। इस नीति के लागू होने के पश्चात् से दिनांक 30.09.2021 तक प्राप्त 38 आवेदनों को स्टेज–1 क्लियरेंस दिया गया है जिसमें प्रस्तावित निवेश की राशि ₹330.72 करोड़ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार स्टार्ट-अप नीति-2017, अधिसूचना निर्गत की तिथि से पाँच वर्षो तक के लिए प्रभावी है। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा प्रारम्भिक कॉरपस के रूप में पाँच सौ करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस नीति के तहत युवा उद्यमियों को प्रारंभिक कार्य–कलाप पर होने वाले व्यय, क्षेत्र भ्रमण, शोध, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता के रूप में प्रत्येक स्टार्ट–अप के तहत निरीक्षण एवं स्वअभिप्रमाणन हेतु पाँच वर्षो के लिए छूट दी गई है। स्टार्ट–अप को राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों/औद्योगिक पार्क/एस0एम0ई0 कलस्टर एवं हब में दस प्रतिशत स्थान का निर्धारण किया गया है।

बिहार स्टार्ट-अप नीति-2017 योजना के अन्तर्गत अबतक ऑनलाईन प्राप्त कुल 23876 आवेदनों में से प्रमाणीकृत 185 स्टार्टअप को कुल ₹900.60 लाख का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही 52 स्टार्ट-अप के इन्क्यूवेशन हेतु विभिन्न संस्थानों को ₹104.00 लाख एवं चन्द्रगुप्त इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना में इन्क्यूवेशन लैब की स्थापना हेतु ₹33.00 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष स्व-रोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके। इस योजना का शत-प्रतिशत वित्त पोषण उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम ₹10.00 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान/सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई ₹25,000 की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।

राज्य में वर्ष 2018 से लागू अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष तक चयनित कुल 5100 आवेदनों में से 4051 लाभुकों को कुल ₹332.95 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनान्तर्गत चयनित कुल 1978 आवेदनों में से 1500 लाभुकों को कुल ₹122.15 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है।

सात निश्चय पार्ट–02

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

युवाओं/महिलाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व से राज्य योजना अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अतिरिक्त सात निश्चय पार्ट–02 के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 02 नई योजनाएँ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना/महिला उद्यमी योजना लागू की गयी हैं।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को अनुदान/सब्सिडी तथा ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान पूर्व से क्रियान्वित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति

पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की भाँति ही है केवल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अन्तर्गत अन्य समान प्रावधानों के साथ ऋण पर मात्र 01 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान किया गया है।

इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उद्यमी संबंधी सभी योजनाओं के अन्तर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन प्राप्त कुल 62,324 आवेदनों की समीक्षा की गयी जिनमें से 42,477 आवेदन चयन के योग्य पाये गये। जिलावार निर्धारित प्रारंभिक लक्ष्य को दोगुना करते हुए योग्य पाये गये 42477 आवेदनों में से 15986 आवेदनों को पूर्ण पारदर्शी एवं रैण्डमाइज्ड तरीके से चयनित किया गया। इस प्रकार सभी उद्यमी योजनान्तर्गत चयनित कुल 15986 आवेदनों का योजनावार अलग–अलग सूची उद्यमी योजना के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। चयनित लाभुकों के प्रशिक्षण, वित्तीय प्रोत्साहन एवं ऋण विमुक्ति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनांतर्गत राज्य में आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनांतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना पर राज्य सरकार तथा कलस्टर SPV का अंशदान क्रमशः 90 प्रतिशत (अधिकतम ₹10.00 करोड़) एवं 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। विशेष परिस्थिति में यदि कलस्टर के सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के हों तो राज्य सरकार का अंशदान 100 प्रतिशत तक दिए जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनांतर्गत कुल 10 कलस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी0पी0आर0 पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत अब तक 07 कलस्टरों यथाः–राईस मिल कलस्टर–लखीसराय, मेनमेहसी सीप बटन कलस्टर-पूर्वी चम्पारण, बथना सीप बटन कलस्टर-पूर्वी चम्पारण, सिलाव खाजा कलस्टर-नालन्दा, कन्हैयागंज झूला कलस्टर-नालन्दा, काँसा-पीतल कलस्टर, वैशाली एवं काँसा-पीतल कलस्टर, पश्चिमी चम्पारण में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिसमें से सीप बटन कलस्टर, मेनमेहसी, मोतिहारी, सीप बटन कलस्टर-बथना, मोतिहारी एवं राईस मिल कलस्टर, लखीसराय में वाणिज्यिक उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना

जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों को 50.00 लाख की दर से कुल 19.00 करोड़ मात्र की विमुक्ति की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 206 समूहों को चिन्हित कर विकसित किया जा रहा है जिसमें 2879 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके विरूद्ध कुल 168 समूहों में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसके अन्तर्गत 2433 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प0 चम्पारण (बेतिया) के चनपटिया में नवप्रवर्तन स्टार्ट–अप जोन की स्थापना हेतु इकाईयों को शेड उपलब्ध कराया गया। इस मॉडल का अनुकरण करने हेतु अन्य जिलों को भी निदेश दिया गया है, जिसकी सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है।

राज्य के लोक उपक्रम (PSUs) द्वारा औद्योगिक कलस्टर विकास

राज्य के बाहर से आये कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पी0एस0यू0 कलस्टर योजना अन्तर्गत कुल 76 समूहों की स्थापना के माध्यम से 2258 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। जिसके विरूद्ध 20 कलस्टरों की स्थापना की जा चुकी है जिसमें अबतक 348 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के भौतिक लक्ष्य 3415 एवं वित्तीय लक्ष्य (मार्जिन मनी) ₹10159.00 लाख के विरूद्ध अबतक 15871 आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु बैंक शाखाओं में भेजा गया है। बैंक द्वारा फरवरी, 2022 तक 1581 आवेदकों के बीच ₹5244.67 लाख मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में भुगतान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय

देश के भीतर एवं बाहर निवेशकों के बीच निवेश हेतु प्रचार-प्रसार के लिए निवेश आयुक्त का कार्यालय बनाया गया है जो कि देश की वाणिज्यिक राजधानी मुम्बई में अवस्थित है।

निवेश आयुक्त कार्यालय के प्रयास से फरवरी, 2022 तक कुल 131 'निवेश निश्चय' (MoUs) हुए, जिसमें ₹68,085 करोड़ का निवेश तथा 61,302 प्रत्यक्ष रोजगार का प्रस्ताव सन्निहित है। इन निवेशकों को गाइड कर संबंधित एजेंसियों यथा-भू-आवंटन हेतु बियाडा के पास तथा नीतिगत/प्रक्रियागत सहयोग हेतु राज्य पर्षद के पास भेजा गया।

उद्योग विभाग के अन्य कार्यालय के सहयोग से उक्त 'निवेश निश्चय' में से अद्यतन 05 कार्यरत/उत्पादनरत हैं जिनमें ₹684.00 करोड़ का निवेश तथा 1265 प्रत्यक्ष रोजगार सन्निहित है। 28 'निवेश निश्चय प्रस्ताव' भू-आवंटन के बाद निर्माणाधीन है, इनमें ₹29,617 करोड़ का निवेश एवं 17,894 प्रत्यक्ष रोजगार सन्निहित है। शेष 100 निवेश प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है।

बिहार फाउन्डेशन

बिहार फाउन्डेशन बिहार सरकार का प्रवासी प्रकोष्ठ है। बिहार फाउन्डेशन के गठन की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य भावनात्मक रूप से राज्य के बाहर, देश–विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है।

देश एवं विदेशों में प्रवासी बिहारी समुदाय के सहयोग एवं फाउन्डेशन के उद्देश्यों के प्रति एकजुटता की वजह से अबतक कुल 21 (इक्कीस) चैप्टर्स खुल चुके हैं जिनमें विदेशों में 12 (बारह) चैप्टर्स एवं भारत में 9 (नौ) चैप्टर्स हैं। यूनाईटेड किंगडम (UK), अमेरिका (ईस्ट कोस्ट), सिलीगुड़ी एवं सिक्किम, चैप्टर का गठन प्रक्रियाधीन है।

बिहार फाउन्डेशन द्वारा सोशल मीडिया के व्यापक तथा विस्तृत पहुँच को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म यथा: फेसबुक पेज, ट्वीटर, यू ट्यूब के माध्यम से बिहार की सकारात्मक तथा उभरती छवि को देश–विदेश में अवस्थित प्रवासी बिहारियों तक पहुँचाया जा रहा है। बिहार फाउन्डेशन के सोशल मीडिया प्लैटफार्म की वर्तमान स्थिति फेसबुक– 6.8 लाख लाईक्स, ट्वीटर– 18.3 हजार फॉलोवर्स तथा यू ट्यूब– 10.0 लाख व्यूज़ हैं।

बिहार फाउंडेशन को बिहार राजपत्र (असाधारण)– 1722, दिनांक 6 मई 2021 के माध्यम से आपदा प्रतिरक्षण में राहत प्राप्त करने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय है, जिनके अधीन कुल 68 औद्योगिक क्षेत्र/ प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। वर्ष 2021–2022 में उद्योग

की स्थापना हेतु अबतक कुल 60 इकाईयों के बीच 350.52 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में कुल ₹3407.36 करोड़ का निवेश होगा एवं कुल 6483 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्तमान समय में बियाडा में कुल 2762 औद्योगिक इकाइयाँ है, जिनमें से 1784 इकाईयाँ कार्यरत है। बियाडा अंतर्गत राज्य में कुल भूमि 8508.07 एकड़ औद्योगिक भूमि है।

आयडा द्वारा गया जिलान्तर्गत डोभी, अंचल में Integrated Manufacturing Cluster (IMC) के स्थापनार्थ 1670 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है।

सीपेट, हाजीपुर में 200 छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण / भागलपुर में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (VTC) की स्थापना :

सीपेट, हाजीपुर में 200 छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹6.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹0.33 करोड़ अर्थात् कुल ₹6.33 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सीपेट, हाजीपुर के नियंत्रण में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (VTC) की स्थापना को–ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल, भागलपुर के परिसर में की जानी है। इस हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹10.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हस्तशिल्प प्रक्षेत्र

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना राज्य का एक मात्र हस्तशिल्प प्रक्षेत्र का मुख्य संस्थान के रूप में जाना जाता है। हस्तशिल्प के बदलते परिवेश में इस क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, उत्पादों की गुणवत्ता एवं न्यूनतम उत्पादकता, नई तकनीक की जानकारी, क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, प्रशिक्षण, डिजाइन, विपणन की व्यवस्था, कच्चे माल की आपूर्ति, मूल्य संवर्द्धन तथा हस्तशिल्पियों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य के हस्तशिल्पियों के चौमुखी विकास के लिए संस्थान निरंतर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा समय–समय पर अन्तर्राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर भी हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी हेतु निःशुल्क स्थान/स्टॉल आवंटित करती है ताकि उनके आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सके।

कोरोना संक्रमण एवं उसके फलरूवरूप देशव्यापी लॉक–डाउन के कारण राज्य के शिल्पकारों के समक्ष उत्पन्न आजीविका के संकट के निवारण हेतु उद्योग विभाग द्वारा उनके उत्पादों के क्रय/अधिप्राप्ति हेतु ₹131.25 लाख मात्र के रिवाल्विंग फंड की स्थापना की गयी है।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 05 रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी प्रदर्शनी–सह–बिक्री केन्द्र का आयोजनः

स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के तहत 05 रेलवे स्टेशनों यथा-पटना जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, भागलपुर जंक्शन, गया जंक्शन एवं मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा दिनांक 14–22 अगस्त, 2021 तक आयोजित किया गया। अस्थायी प्रदर्शनी–सह–बिक्री स्टॉल का निर्माण कार्य बिहार के खादी, हस्तकरघा उत्पादों का राज्य एवं देशव्यापी प्रचार–प्रसार एवं बिक्री के उद्देश्य से किया गया। कुल ₹55,350/– के शिल्प उत्पाद की बिक्री की गयी। इसके साथ ही शिल्प उत्पाद की राज्य व्यापी लोकप्रियता में सफलता मिली।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

प्रत्येक साल की भाँति वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन

14–27 नवम्बर, को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया जिसमें बिहार पार्टनर स्टेट रहा है। यह राज्य की विकास योजनाओं के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के प्रस्तुतिकरण हेतु एक लाभकारी अवसर रहा। इसके लिए थीम के अनुसार बिहार मंडप का निर्माण किया गया है साथ ही बिहार के प्रसिद्ध हैण्डलूम/हैण्डीक्राफ्ट एवं अन्य उत्पादों तथा मशहूर व्यंजनों का स्टॉल भी लगाया गया। वर्ष 2021 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उद्योग विभाग, बिहार सरकार को स्वर्ण पदक से नवाजा गया।

सामान्य सुविधा केन्द्र :

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के IDPH योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों हेतु 10 सामान्य सुविधा केन्द्रों का निर्माण कार्य कराया गया है। निर्माण कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त उसमें मशीन एवं इक्यूपमेंट, फर्नीचर आदि का अधिष्ठापन कर फंक्शनल बनाया गया है। इसमें से वेणु शिल्प–रोसड़ा (समस्तीपुर), सामान्य सुविधा केन्द्र का उद्घाटन दिनांक 21.08.2021 को एवं एप्लिक/कशीदा शिल्प–आरा (भोजपुर) सामान्य सुविधा केन्द्र का उद्घाटन दिनांक 11.12.2021 को किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हस्तकरघा प्रक्षेत्र

हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना– राज्य के हस्तकरघा पर यू0आई0डी0 (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को ₹10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹110.00 लाख (एक करोड़ दस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं 1100 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

विद्युतकरघा प्रक्षेत्र

विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युत अनुदान : विद्युतकरघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 2021–22 में योजनान्तर्गत ₹1185.00 लाख (ग्यारह करोड़ पचासी लाख) मात्र राशि स्वीकृत की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत राज्य के 17222 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

मलवरी विकास परियोजना

सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं मधेपुरा जिलों के कुल 5277 व्यक्तियों द्वारा 2638.50 एकड़ निजी भूखण्ड में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया। कीटपालकों के 465 (5 व्यक्तियों का समूह) समूहों को सिंचाई हेतु पम्पसेट की आपूर्ति की गई। 3880 कीटपालकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया। कोशी प्रमंडल में रेशम विकास कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी जीविका द्वारा 16 चयनित स्थानों पर नोडल सेंटर की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों द्वारा कीटपालकों को उनकी मांग के अनुसार द्वितीय अवस्था के स्वस्थ रेशम कीटों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

तसर विकास परियोजना

बॉका, मुंगेर, नवादा एवं कैमूर जिलों में 3416 हे0 निजी भूमि में तसर वृक्षारोपण कराया गया। बाँका, जमुई, नवादा, कैमूर, रोहतास, एवं बेतिया जिलों में अबतक 6120 हे0 वन भूमि/रेशम फॉर्म में वृक्षारोपण कराया गया है। अग्र परियोजना केन्द्र, इनारावरण कटोरिया, बाँका एवं श्यामबाजार, बाँका में एक–एक प्रशासनिक भवन एवं पाँच–पाँच बीजागार भवन निर्माण के लिए ₹826.04 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध

आयडा द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा इन्हीं केन्द्रों में एक–एक कोकून बैंक निर्माण के लिए ₹92.88 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध आयडा द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बीजागार भवन के निर्माण से स्थानीय स्तर पर दो लाख तसर रोग मुक्त चकत्तों का उत्पादन हो सकेगा।

हस्तकरघा एवं रेशम भवन

रेशम नगरी, भागलपुर में ₹1364.00 लाख की लागत से निर्मित हस्तकरघा एवं रेशम भवन का हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस भवन में भागलपुर जिला अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी रेशम संबंधी कार्यालय/केन्द्र को स्थानांतरित किए जाएंगे। बुनकरों को वस्त्र बिक्री हेतु कुल 72 स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक हेतु एक कान्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया गया है। आवासीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट हाट का निर्माण

बिहार के औद्योगिक पुनर्निर्माण में हस्तकरघा एवं विद्युतकरघा प्रक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पटना में हैण्डलूम हाट की मांग राज्य के बुनकरों द्वारा की जा रही थी। बिहार राज्य वित्त निगम, कार्यालय, फ्रेजर रोड, पटना के प्रथम तल पर कुल लागत ₹207.28 लाख मात्र से हैण्डलूम हाट का निर्माण किया गया है। इस हैण्डलूम हाट का संचालन उद्योग विभाग अन्तर्गत उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाना है। इसके लिए संस्थान को चक्रीय निधि के रूप में ₹155.00 लाख उपलब्ध करा दी गयी है।

खादी प्रक्षेत्र

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने खादी और चरखे को नयी समाज–रचना का प्रतीक माना था। वे एक ऐसा समाज कायम करना चाहते थे, जिसमें व्यापार के लिए उत्पादन नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति उद्योगशील होगा और उद्योग, राज्य–निर्भर नहीं, बल्कि लोकनिर्भर होंगे। उनका मानना था कि यह कार्य खादी के माध्यम से ही संभव है।

खादी–कार्य आज भी उतना ही आवश्यक है, जितनी आजादी मिलने के पहले था। बिहार के लिए तो खादी क्षेत्र का विकास अहम है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग गतिविधियों के लिए व्यापक अवसर एवं संभावनाएं हैं। खादी प्रक्षेत्र में सरल तकनीक और न्यूनतम पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के बीच रोजगार पैदा करने की इसमें जबर्दस्त क्षमता है।

बिहार सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र के विकास के लिए 44 करोड़ की लागत से खादी पुनरूद्धार योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत नई तकनीक से विकसित मल्टी काउन्ट त्रिपुरारी मॉडल, न्यू मॉडल एवं कटिया चरखा 90% अनुदान पर वितरण और निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ–साथ खादी संस्थाओं को कार्यशील पूँजी भी उपलब्ध करायी जा रही है।

खादी पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत बिहार की खादी संस्थाओं को अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने तथा कच्चामाल एवं कतिनों/बुनकरों को समय पर पारिश्रमिक भुगतान एवं अन्य भुगतान हेतु कार्यशील पूँजी (ऋण) मात्र 4% के ब्याज दर पर ऋण के रूप में 07 वर्षों के लिए संस्था/समितियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यशील पूँजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2021–22 में आधुनिक चरखा के लिए 9 संस्थाओं को ₹83.98 लाख तथा कटिया चरखा के लिए 11 खादी संस्थाओं को कुल ₹155.91 लाख मात्र कार्यशील पूँजी (ऋण) उपलब्ध कराया गया है।

पटना के खादी मॉल की तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया शहरों में मॉल निर्माण की दिशा में कार्रवाई

प्रारम्भ कर दी गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग मेला प्रदर्शनी का आयोजन वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला सिवान, आरा, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ में किया गया।

वर्त्तमान सरकार के कार्यकाल में बिहार में औद्योगिक विकास हेतु किये गये प्रयासों से निवेश हेतु उत्साह के वातावरण का निर्माण हुआ है, जिसका लाभ खादी एवं ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र को भी मिल रहा है।

अब मैं वित्तीय वर्ष 2022–23 की भावी योजनाओं का संक्षिप्त रूप–रेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ :

1. बिहटा, पटना में सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट) मुख्यालय, चेन्नई के द्वारा 10 एकड़ भूमि पर B. Tech एवं M. Tech कोर्स प्रारंभ करने हेतु Institute of Petrochemical Technology (IPT) की स्थापना की जानी है।

2. अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर (AKIC) परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण की लागत ₹350.00 करोड़ की आवश्यकता है।

3. खादी मॉल, पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाना है।

4 स्पीनिंग, मिलिंग एवं फिनिशिंग प्लांट, डेहरी ऑनसोन (रोहतास) में भवन निर्माण एवं प्लांट मशीनरी की स्थापना की योजना है।

5. बियाडा अंतर्गत स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र, बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स कलस्टर/मेडिकल डिवाईस पार्क/औद्योगिक क्षेत्र, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क/फार्मा एण्ड सर्जिकल पार्क, मुजफ्फरपुर/औद्योगिक क्षेत्र, गोरौल, वैशाली में प्लास्टिक पार्क/औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग (बेतिया) में टेक्सटाईल पार्क एवं अपैरल पार्क/टॉय कलस्टर की स्थापना की जानी है जिस पर होने वाली अनुमानित व्यय की राशि ₹150.00 करोड़ है।

6. दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं गया की तर्ज पर भागलपुर एवं सुपौल में भी प्रशिक्षण केन्द्र (छात्रावास सहित) निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

बजट मांग संख्या–23

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में ₹1190.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय ₹95.1716 करोड़ अर्थात कुल मूल प्राक्कलन ₹1285.1716 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में ₹1545.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ₹98.7416 करोड़ अर्थात कुल प्राक्कलन ₹16,43,74,16,000.00 (सोलह अरब तेतालीस करोड़ चौहत्तर लाख सोलह हजार) की अनुदान मांग का प्रस्ताव सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूँ।

◆◆◆

उद्योग विभाग